

फर्द डिकी मुकदमात इत्तादाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 149 / 2021

तारीख दायरा:- 25.10.2021

उनवान

1. शिवकरण पुत्र गोर्धन जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा
2. ओमप्रकाश पुत्र गोर्धन।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र गोर्धन।
4. नरेश पुत्र गोर्धन।
5. प्रहलाद पुत्र गोर्धन जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. श्रीमती कल्याणी बाई पुत्री गोर्धन पत्नी भैरू लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।

-वादीगण

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. श्रीमती भूली बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती रामजौध्या बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्री भैरू लाल कुम्हार निवासी ग्राम मानपुरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
5. दीपक पुत्र रामप्रसाद।
6. राकेश पुत्र रामप्रसाद।
7. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद।
8. रानी बाई पुत्री रामप्रसाद।
9. श्रीमती लीला बाई पत्नी रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. बजरंग लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।



प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

11. श्रीमती कमला पुत्री रामदेव पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासीनी ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।  
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955



उपस्थित :-

दिनांक :- 26.10.2021

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण)

श्री ओम प्रकाश नामदार (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री महेश कुमार तिवारी मिन जानिव मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिव मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि—

ग्राम रोलाना पटवार हल्का विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल कित्ता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात में से वादीगण को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का तथा प्रतिवादी सं. 10 व 11 को ख.न. 668 की 1.89 है. आराजी में से पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.945 है. आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर कुल 3 कित्ता की कुल 1.57 है. आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।


निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत) वी  
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद





निर्णय वडजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 14./2021

तारीख दायरा:- 25.10.2021

उनवान

1. शिवकरण पुत्र गोर्धन जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोर्धन।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र गोर्धन।
4. नरेश पुत्र गोर्धन।
5. प्रहलाद पुत्र गोर्धन जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. श्रीमती कल्याणी बाई पुत्री गोर्धन पत्नी भैरु लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा।

-वादीगण

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण।
2. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण।
3. श्रीमती भूली बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती रामजौध्या बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पुत्री भैरु लाल कुम्हार निवासी ग्राम मानपुरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
5. दीपक पुत्र रामप्रसाद।
6. राकेश पुत्र रामप्रसाद।
7. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद।
8. रानी बाई पुत्री रामप्रसाद।
9. श्रीमती लीला बाई पत्नी रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कुराडियांकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. वजरंग लाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम कुराडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
11. श्रीमती कमला पुत्री रामदेव पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासीनी ग्राम अमलसरा तहसील अन्ता जिला बांरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद

- प्रतिवादीगण

1

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि  
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद



दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 आर. टी. एक्ट 1955



उपस्थित :-

दिनांक :- 26.10.2021

श्री गणेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण)

श्री ओम प्रकाश नामदार (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम रोलाना पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता नया 98 पुराना 86 के खसरा नं. 541 की 0.45 हैक्टर, 542 की 0.88 हैक्टर, 623 की 0.24 हैक्टर तथा खसरा नं. 668 की 1.89 हैक्टर कुल किता 4 की 3.46 हैक्टर आराजीयात स्थित हैं, जिसमें वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता मृतक गोरधन जी का 1/6 हिस्सा और प्रतिवादी नं. 1 छोटूलाल 2 परमानन्द 3 भूलीवाई 4 रामजोध्या बाई प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 5 दीपक 6 राकेश 7 राजेन्द्र 8 रानीवाई 9 लीला बाई प्रत्येक का 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 10 बजरंग लाल व प्रतिवादी नं. 11 कमला प्रत्येक का 1/16 हिस्सा राजस्व अभिलेखों (जमाबन्दी) में अंकित हैं। नकल जमाबन्दी 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

वादग्रस्त आराजीयात में हाल सैटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी नं. 10 बजरंग लाल प्रतिवादी नं. 11 कमला व वादीगण के पिता स्व० गोरधन जी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी नं. 5 लगायत 8 के दादा तथा प्रतिवादी नं. 9 के ससुर स्व० लक्ष्मीनारायण जी का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अंकित था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी नं. 10 व 11 सहखातेदार स्व० रामदेव के वारिस होने से संयुक्त रूप से तथा वादीगण के पिता स्व० गोरधन जी का 1/4 हिस्सा व शेष आधे हिस्से में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 के पूर्वज स्व० लक्ष्मीनारायण जी का नाम अंकित था।

वाद सैटलमेन्ट वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण का सहवन से गलत हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण सहखातेदार मृतक गोरधन के वारिसान होने से वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 सहखातेदार

प्रसाजित प्रतिलिपि 2

नचलगत वकीलारी. भांगडा

उपजज अधिवक्ता  
सांगोद जिला कोर्ट

लक्ष्मीनारायण के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 खातेदार मृतक रामदेव के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता है। और इसी हिस्से के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर आराजीयात अपने पूर्वजों के समय से हुये विभाजन के मुताबिक मौके पर काशत करते आ रहे हैं। सैटलमेन्ट वालों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के सैटलमेन्ट के पूर्व के खातेदार के हिस्से को बदलने का अधिकार नहीं था, उनको तो प्रिवियस रिकार्ड की ही एन्ट्री करनी थी। उनके द्वारा दर्ज किया गया हिस्सा अधिकार विहीन होने व खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य हैं।

वाद ग्रस्त आराजीयात में वादीगण संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से को, प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से को तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से को काशत करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिये व अन्य राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण पूर्व खातेदार मृतक गोरधन के वारिसान होने से 1/4 हिस्सा होने, प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 पूर्व खातेदार मृतक लक्ष्मीनारायण के वारिसान होने से संयुक्त रूप से 1/2 होने तथा प्रतिवादी नं. 10 व 11 सह खातेदार मृतक रामदेव के वारिस होने से संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होने की घोषणा करवाते हुये हिस्से मुताबिक मौके पर काबिज वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में आने वाली आराजीयात का विभाजन कराकर पृथक राज लगान अंकन कराने के लिये यह वाद पेश कर रहे हैं। पक्षकारान मुकदमा के वादग्रस्त आराजीयात में हिस्से की घोषणा करने का माननीय न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में पक्षकारान मुकदमान ने प्रतिवादी नं. 12 तहसीलदार साहब सांगोद ने वादीगण के मौके पर काबिज 1/4 हिस्से का विभाजन करने के लिये आज से डेढ़ माह पूर्व कहने पर उनके द्वारा उक्तानुसार बंटवारा करने से मना कर माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के लिये कहा।

वादीगण व प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त आराजीयात पर परस्पर सहमति अपने पूर्वजों के समय से यानि कि 40 वर्ष पूर्व से हुये विभाजन के मुताबिक निम्नानुसार आराजीयात हिस्से में आई थी, जिसके मुताबिक पृथक-पृथक काशत कर रहे हैं—

1. प्रतिवादी सं० 1 ता 9 के संयुक्त रूप से खसरा नं. 668 की 1.89 है. आराजी आई है जिस पर वह काशत कर रहे हैं।
2. वादग्रस्त आराजी में से खसरा नं. 541 की 0.45 है. ख.न. 542 की 0.88 है. ख.न. 623 की 0.24 है. कुल किता 3 की कुल 1.57 है. आराजी मौके पर एक चक के रूप में है जिसमें से पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.785 है. वादीगण के हिस्से में आया था जिस पर

प्रमाणित प्रतिलिपि 3  
उपरोक्त अधिकारी, सांगोद

उपरोक्त अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक - 2022/184

दिनांक - 27/1/22

वास्ते- पटवारी हलका ..... कुशीडिया रवडी .....

विषय- मि.न. 4/20.22 इजराय की पालना बाबत।

उनवान- ..... शिवकरा / दौडलाल .....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

दिनांक-

क्रमांक- /2021/

प्रतिलिपि-सूचनार्थ/पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद/नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

इजरायन 4/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 794

दिनांक- 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....149/2021

उनवान.....~~शिवकर राम काम हीरु लाल~~.....में जारी डिक्री दिनांक.

25/10/21 की पालना में ग्राम.....रेलाना.....में नामान्तरकरण सं.....604

दिनांक 25/3/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

  
तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

## जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

सम्बत :- 2075 - 2078

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 218

खाता संख्या पुराना :- 98

नाम :- रोलाना  
पिता :- विनोदखुर्द  
पति :- विनोदखुर्द  
माँगोद  
कोटा

पिता का नाम:-

प्रकाश पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार  
बाई पुत्री गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) नि.ग्राम विनोदखुर्द खातेदार  
पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार  
पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) नि.ग्राम अमलसरा तहसील अंता खातेदार  
पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) नि.ग्राम कुराडियाकला खातेदार  
प्रसाद पुत्र गोरधन हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार,

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
668	0.9450	चाही द्वितीय	0.9450 25.52	स्वीकृत नामान्तरकरण : 604 25/03/2022 न्याया. आदेश	
सं-1	0.9450		0.9450 25.5200		

यदि केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

IC